



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122022-240762
CG-DL-E-03122022-240762

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5401]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 2, 2022/अग्राहायण 11, 1944

No. 5401]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 2, 2022/AGRAHAYANA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5633(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1901(अ) दिनांक 21.04.2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के बीदर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161A के कि.मी.0.000 से कि.मी.44.525 तक औराद - बीदर तक के पेवड शोल्डर सहित द्विपथ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "22.05.2022" को "डेक्कन हेराल्ड" और "उदयवाणी" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के बीदर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161A के कि.मी.0.000 से कि.मी.44.525 तक औराद से बीदर तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: बीदर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बीदर				
	गांव का नाम: इस्लामपुर				
1	37	निजी	सूखा	1.0421	१) गोपाबायी पति स्वर्गीय माधवराव २) अशोक पिता स्वर्गीय रामराव ३) शिवराज पिता स्वर्गीय माणिकराव ४) रुक्मिणीबायी पति भावुराव (३७/*)
2	39	निजी	सूखा	0.182106	दीक्षा पति जगदीश खुबा (३९/१)
3	39	निजी	सूखा	0.101117	कमलाबाई पति मस्नाजी चोरमाले (३९/५)
4	39	निजी	सूखा	0.202324	भू परिवर्तित प्रदेश (३९/६)
5	53	निजी	सूखा	0.86	मस्नाजीराव पिता दशरथराव (५३/४)
6	54	निजी	सूखा	0.1416	भगवानराव पिता गुंडेराव (५४/*)
			कुल	2.529247	

[फा. सं. NHAI/LA/RO-BNG/KNT/GULBARGA/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd December, 2022

S.O. 5633(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, vide S.O.1901(E) dated 21.04.2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building, maintenance, management and operation of Two Lane with Paved Shoulders of Aurad - Bidar section of NH161A on the stretch of land from Km.0.000 to Km.44.525 in the District of BIDAR in the State of KARNATAKA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Deccan Herald*” and “*Udayavani*” both dated 22.05.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the lands to be acquired, with or without structure, falling within stretch of Aurad - Bidar section of NH-161A in the stretch of land from Km.0.000 to Km.44.525 in the District of BIDAR in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA		District: BIDAR			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bidar				
	Village: Islampur				
1	37	Private	Dry	1.0421	1) Gopabai W/o Late Madhavrao 2) Ashok S/o Late Ramarao 3) Shivaraj S/o Late Manikrao 4) Rukminibai W/o Bhavurao 37/*
2	39	Private	Dry	0.182106	Diksha W/o Jagdeesh Khuba 39/1
3	39	Private	Dry	0.101117	Kamalabai W/o Masnaji Chormale 39/5
4	39	Private	Dry	0.202324	Converted Land

					39/6
5	53	Private	Dry	0.86	Masnajirao S/o Dasharathrao 53/4
6	54	Private	Dry	0.1416	Bhagwanrao S/o Gunderao 54/*
			TOTAL	2.529247	

[F. No. NHAI/LA/RO-BNG/KNT/GULBARGA/3D]

RAJESH GUPTA, Director